अपील सूचना अधिकार संख्या 52/2020 (RCMS 2020/00095) सतपाल वर्मा पुत्र श्री ताराचन्द निवासी चक 68/3 जीबी पोस्ट ऑफिस 70 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं0 99827-08421) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं पंचायत समिति प्रधान, अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.11.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सतपाल वर्मा स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 72 जीबी पंचायत समिति अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से शीघ्र सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> ग्राम पंचायत 72 जीबी के वॉर्ड नं. 6 में चक 68/3 जीबी में ताराचन्द पुत्र श्री तिलोकाराम के नाम से डिग्गी निर्माण हुआ है उसमें पंचायत द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है और ग्राम पंचायत के वार्ड नं. 5 और वार्ड नं. 6 में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में पंचायत द्वारा कितना कार्य कहां कहां स्वीकृत हुआ है और वार्ड नं. 6 में प्रेम कुमार के नाम बनी डिग्गी पंचायत द्वारा कितनी राशि स्वीकृत है।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 72 जीबी दिनांक 16.09.2020 को उपस्थित हुआ और अपीलार्थी को उसके द्वारा दिये गये जवाब की प्रति पेश की है, जिसके अनुसार उसने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

क्र. सं.	चाही गई जानकारी का विवरण	चाही गई जानकारी का प्रतिउत्तर
1	ग्राम पंचायत 72 जीबी के वर्ड नं. 6 में चक 68/3 जीबी में ताराचन्द पुत्र श्री तिलोकाराम के नाम से डिग्गी निर्माण हुआ है उसमें पंचायत द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है?	सार्वजनिक पेयजल डिग्गी निर्माण ताराचन्द/तिलोका राम 68/3 जीबी कार्य की स्वीकृत राशि 83641/– रूपये है।
2	ग्राम पंचायत के वार्ड नं. 5 और वार्ड नं. 6 में वर्ष 2018–19 व 2019–20 में पंचायत द्वारा कितना कार्य कहां कहां स्वीकृत हुआ है?	ग्राम पंचायत के वार्ड नं 5 और 6 में वर्ष 2018–19 व 2019–20 में पंचायत द्वारा निम्न कार्य स्वीकृत हुआः **वर्ष 2018–19 में स्वीकृत कार्य** 1. मुख्य डामर रोड से राउप्रावि 68/2 जीबी तक सीसी रोड निर्माण 2. पुलिया निर्माण 68/2 जीबी 3. सार्वजनिक पेयजल डिग्गी निर्माण 68/2 जीबी सुरती प्रेम कुमार 4. मेजर हैण्डपंप निर्माण 68/2 जीबी 1 नग 5. मेजर हैण्डपंप निर्माण 68/2 जीबी 2 नग 6. पेयजल डिग्गी मरम्मत 68/2 जीबी **वर्ष 2018–19 में स्वीकृत कार्य :** 1. एचडीपीई पाईप लाईन डालना राजेन्द्र की ढाणी ससे 68/2 जीबी की ओर 2. एचडीपीई पाईप लाईन डालना 70 जीबी आबादी से राजेन्द्र की ढाणी की ओर 3. एचडीपीई पाईप लाईन डालना 68/2 जीबी पार्ट 1 4. एचडीपीई पाईप लाईन डालना 68/2 जीबी पार्ट 2 5. पुलिया निर्माण 68/2 जीबी 6. सबमर्सिबल निर्माण 68/2 जीबी 7. सार्वजनिक पेयजल डिग्गी निर्माण कुलवंत सिंह/मुख्त्यार सिंह/68/3 जीबी 8. सार्वजनिक पेयजल डिग्गी बलदेव सिंह/मुख्त्यार सिंह 68/3जीबी 9. आरसीसी ह्यूम पाईप मैन रोड से डिग्गी तक 68/3 जीबी

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

		10. सार्वजनिक पेयजल डिग्गी निर्माण इन्द्रजीत सिंह/नारायण सिंह 68/3 जीबी।
3	वार्ड नं. 6 में प्रेम कुमार के नाम बनी डिग्गी पंचायत द्वारा कितनी राशि स्वीकृत है?	सार्वजनिक पेयजल डिग्गी निर्माण प्रेमकुमार/तिलोकाराम 68/3 जीबी कार्य की स्वीकृत राशि 83641/– रूपये में

चूंकि **अपीलार्थी** द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 72 जीबी पंचायत समिति अनूपगढ के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत **द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रुप में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक एफ4(367)सू.अ./पंरावि/2020/505 जयपुर, दिनांक 10.07.2020 के आदेश के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित विकास अधिकारी, पंचायत समिति अधिकृत है।** इसलिए अपीलार्थी यदि उक्त सूचनाओं से असंतुष्ट है तो वह **सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति** के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत 72 जीबी, पंचायत समिति अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर